रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16, 1988/पौष 26, 1909
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16, 1988/PAUSA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LIBRARY 1/8/88

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि 39(अ) —केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (प्रथम संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 मे, —

(i) नियम 9 मे, दोनो अनुसूचियो मे, अंतिम मद अर्थात् —

"1-4-1987 से आगे 797 10" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1-4-1987 से आगे 800 30"

(ii) नियम 10 मे, उपनियम (1) में, "सारणी 1,2, 11 या 13" शब्दों और अंको के स्थान पर जहा कही वे आते है, "सारणी 1,2,11,13 या 17" शब्द और अंक रखे जायेंगे,

(iii) नियम 11 मे, उपनियम (2) मे, "सारणी 3,4, 12 या 14" शब्दो और अंको के स्थान पर, जहा कही वे आते है, "सारणी 3,4,12,14 या 18" शब्द और अंक रखे जायेंगे,

(iv) सारणी 13 और 14 मे, "1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात्" अंको और शब्दो के स्थान पर जहा कही वे आते है "1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1987 से पूर्व" अंक और शब्द रखे जायेंगे;

(v) सारणी 16 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी 17

(नियम 10 देखिए)

1 अप्रैल 1987 को या उसके पश्चात् खोले गए और मासिक निक्षेपो के साथ परिपक्वता अवधि का नियम 7

के उपनियम (1) के अधीन यथा बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि से आगे चालू रखे गए खाते पर संदेय ब्याज सहित रकम ।

संपूरित वर्षों की संख्या, जिनके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रु. के मूल्य के खाते पर प्रति संदेय रकम (रु.)
एक वर्ष	1019.30
दो वर्ष	1263.50
तीन वर्ष	1635.70
चार वर्ष	1839.00
पांच वर्ष	2177.10

टिप्पण : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात मे होगी ।

सारणी—18

(नियम 11 देखिए)

1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् खोले गए और किन्हीं नए मासिक निक्षेपो के बिना, परिपक्वता अवधि को या नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन यथा बढ़ाई गई परिपक्वता अवधि मे आगे चालू रखे गए खाते पर प्रतिसंदेय ब्याज सहित रकम ।

संपूरित वर्षों की संख्या, जिनके लिए खाता चालू रखा जाता है	10 रु. के मूल्यवर्ग के खाते पर प्रतिसंदेय रकम (रु०)
एक वर्ष	892.00
दो वर्ष	994.30
तीन वर्ष	1108.20
चार वर्ष	1235.30
पांच वर्ष	1376.80

टिप्पण : किसी अन्य मूल्यवर्ग के खाते पर संदेय रकम ऊपर विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात मे होगी ।

[सं. एफ. 2/4/87-एन.एस.

के. एम. शास्त्री, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि.सं. 666(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किये गए थे । पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का नि.सं. 301(अ), तारीख 1-4-1982, सा.का.नि. सं. 258(अ), तारीख 11-3-1983, सा.का.नि.सं. 62(अ), तारीख 14-2-1984, सा.का. नि.स. 95(अ), तारीख 7-2-1986 और सा.का.नि स. 363(अ), तारीख 1-4-1987 द्वारा जारी किये गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 16th January, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deosit Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Second Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981;

(i) in rule 9, in both the schedules, for the last item, namely,

"From 1-4-1987 onwards—797-10", the following shall be substituted :—

"From 1-4-1987 onwards—800.39";

(ii) in rule 10, in sub-rule (2), for the words and figures "Table 1, 2, 11 or 13" wherever they occur, the words and figures "Table 1, 2, 11, 13, or 17" shall be substituted;

(iii) in rule 11, in sub-rule (2), for the words and figures "Table 3, 4, 12, or 14", wherever they occur the words and figures "Table 3,4, 12, 14 or 18" shall be substituted;

(iv) in Tables 13 and 14, for the words and figures on or after 1st March, 1983", wherever they occur, the words and figures "on or after 1st March, 1983 but before 1st April, 1987" shall be substituted.

(v) after Table 16, the following Tables shall be inserted, namely:—

"Table 17

(See rule 10)

Amount, inclusive of interest, payable on an account opened on or after 1st April, 1987 and continued, with monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule(1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) payable on an account of Rs. 10 denomination
One year	1019.30
Two years	1263.50
Three years	1535.70
Four years	1839.00
Five years	2177.10

Note : The amount repayable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above

Table 18

(See rule 11)

Amount, inclusive of interest, repayable on an account opened on or after 1st April, 1987 and continued, without any fresh monthly deposits, beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-rule (1) of rule 7.

Number of completed years for which the account is continued	Amount (Rs.) repayable on an account of Rs. 10 denomination
One year	892.00
Two years	994.30
Three years	1108.20
Four years	1235.30
Five years	1376.80

Note :—The amount payable on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified above."

[No. F. 2/4/87-NS]

K. S. SASTRY Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published vide G.S.R. No. 666(E) dated 17th December, 1981. Subsequent amendments were issued vide G.S.R. No. 301(E) dated 1-4-1982, G.S.R. No. 258(E) dated 11-3-1983, G. S. R. No. 62(E) dated 14-2-1984, G.S.R. No. 95(E) dated 7-2-1986 and G. S. R. No. 363(E) dated 1-4-1987.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988